झारखण्ड सरकार

कल्याण विभाग

मार्ग–निर्देशिका

प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति

(अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग)

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों को प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्तियों की स्वीकृति एवं वितरण से सम्बन्धित पुनरीक्षित एवं समेकित मार्गनिर्देश।

(वित्तीय वर्ष 2010–11 से प्रभावी)

निधि का स्त्रोत – राज्य सरकार

1. उद्देश्य : मैट्रिक–पूर्व स्तर की छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के माता–पिता को विद्यालय जाने वाले अपने बच्चों को विद्यालय भेजने, विद्यालयी शिक्षा का वित्तीय भार हल्का करने तथा विद्यालयी शिक्षा को पूरा करने में बच्चों को सहारा देने के उनके प्रयासों को बल देने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करती है। यह योजना उनकी शैक्षणिक उपलब्धि की आधारशिला सृजित करती है तथा रोजगार के प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र में उन्हें अवसरों की समानता प्रदान करती है। शिक्षा के माध्यम से सशक्तीकरण जिसमें अनुसूचित जन जाति / अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों की सामाजिक–आर्थिक दशा को उन्नयन की ओर ले जाने की क्षमता है, इस योजना के लक्ष्यों में से एक है।

2. पात्रता की शर्तें :

(i) छात्रवृत्ति उन अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों को पढ़ाई हेतु दी जायेगी जो झारखण्ड सरकार के विद्यालयों / प्रोजेक्ट विद्यालयों / सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विद्यालयों में अध्ययन करते हैं।

(ii) इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

(iii) कक्षा X तक छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के मामले में अन्यथा योग्य होने पर एक ही माता–पिता के बच्चों की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(iv) यदि छात्र वार्षिक प्रोन्नति प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जायेगी।

(v) छात्रों की पूर्व की कक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत उपस्थिति होनी चाहिए।

(vi) इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर रहे छात्रों के किसी भी अन्य मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने की अनुमति नहीं है।

(vii) यदि किसी छात्र द्वारा गलत बयानी करके कोई छात्रवृत्ति प्राप्त कर लेने की जानकारी होती है, तो उसकी छात्रवृत्ति तत्काल रद्द कर दी जायेगी एवं भुगतान की गयी राशि वसूल कर ली जायेगी।

3. **छात्रों द्वारा समर्पित किए जाने वाले आवश्यक कागजात**

शर्त्त	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रधानाध्यापक / प्राचार्य के द्वारा प्रमाणित	कक्षा I–X के लिए	कक्षा I–X के लिए	कक्षा I–X के लिए
सी. बी. एस. खाते के पासबुक की छाया प्रति	कक्षा VII–X के लिए	कक्षा VII–X के लिए	कक्षा VII–X के लिए
बैंक का आई. एफ. एस. कोड	कक्षा VII–X के लिए	कक्षा VII–X के लिए	कक्षा VII–X के लिए

4. **ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका :** कक्षा I से VI तक की छात्रवृत्ति के वितरण की प्रक्रिया का कार्यान्वयन ग्राम शिक्षा समिति करेगी। शिक्षा समिति एक बैंक खाता ऐसी बैंक शाखा में खुलवायेगी जिसमें कोर बैंकिंग सुविधा हो। सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा बैंक की शाखा का सी. बी. एस. खाता संख्या और आई. एफ. एस. कोड प्रखण्ड कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। कक्षा I से VI तक में पढ़ने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति की राशि ग्राम शिक्षा समिति के बैंक खाते में अन्तरित कर दी जायेगी, जो वह स्वीकृति सूची के अनुसार छात्रों के बीच वितरित करेगी।

5. **आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि :**

नये आवेदन के लिए — 30 जुलाई
पुनर्नवीकरण आवेदन के लिए — 30 जून

6. **छात्रवृत्ति का पुनर्नवीकरण:**

एक बार स्वीकृत हो जाने के बाद छात्रवृत्ति तबतक पुनर्नवीकृत कराई जा सकेगी जब तक छात्र की विद्यालय–स्तरीय शिक्षा पूरी नहीं हो जाती हो। इसके लिए निम्नांकित शर्तें हैं :–

क. छात्र विद्यालय में पढ़ाई जारी रखे
ख. अगली उच्चतर कक्षा में उसकी प्रोन्नति हो
ग. पूर्व की कक्षा में उसकी उपस्थिति न्यूनतम 60 प्रतिशत हो

7. <u>विद्यालय को क्या–क्या करना है</u>

(i) विद्यालय छात्र द्वारा दी गयी सूचना एवं अनुलग्नकों का सत्यापन करेगा एवं उससे सम्बन्धित प्रतिवेदन प्रखण्ड विकास कार्यालय को देगा। यदि विद्यालय प्राथमिक एवं मध्य स्तर का है तो यह प्रतिवेदन फार्मैट –I में होगा और यदि यह उच्च विद्यालय है तो प्रतिवेदन फार्मैट –II में होगा।

उच्च विद्यालय (कक्षा VII – X) में पढ़ने वाले छात्रों के लिए विद्यालय उनका किसी कोर बैंकिंग सुविधा वाली बैंक खाता में बैंक खाता खुलवाना सुनिश्चित करेगा।

(ii) पुनर्नवीकरण के लिए विद्यालय को कंडिका –6 में वर्णित मानदंड के आधार पर एक सूची तैयार करनी होगी।

(iii) विद्यालय फार्मैट–I (प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के लिए) एवं फार्मैट –II (उच्च विद्यालय के लिए) में श्रेणीवार अलग–अलग सूची तैयार करेगा। विद्यालय सभी दृष्टि से पूर्ण एवं आवश्यक अनुलग्नकों से युक्त आवेदनों एवं सूची को प्रखण्ड विकास कार्यालय में 30 जुलाई तक जमा कर देगा। नयी छात्रवृत्ति के मामले में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को फार्मैट एवं आवेदन समर्पित करने की अन्तिम तिथि 30 जुलाई होगी और जहाँ तक छात्रवृत्ति पुनर्नवीकरण का प्रश्न है उसके लिए अन्तिम तिथि 30 जून होगी। इन अंतिम तिथियों के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों / फार्मैटों को तत्काल अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(iv) प्रथमिक एवं मध्य विद्यालयों की छात्रवृत्ति राशि इलेक्ट्रोनिक अन्तरण के द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के कोर बैंक खाते में भेज दी जायेगी।

(v) प्रखण्ड कार्यालय ग्राम शिक्षा समिति के खाते में राशि निर्गत होने के एक महीने के अन्दर छात्रवृत्ति–वितरण हेतु शिविर लगाने की तिथि निर्धारित करेगा। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त प्रखण्ड स्तरीय कर्मियों एवं गाँव के अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में इस शिविर में छात्रवृत्ति का वितरण किया जायेगा। यदि वह अपने खाते में आने के एक महीने के भीतर प्राप्त निधि को वितरित करने में असमर्थ होती है तो शेष राशि को ग्राम शिक्षा समिति के खाते से वापस ले ली जायेगी।

(vi) कक्षा VII से X तक में पढ़नेवाले छात्रों की छात्रवृत्ति राशि उनके खाते में इलक्ट्रोनिक अन्तरण के द्वारा सीधे अन्तरित कर दी जायेगी।

(vii) विद्यालय वर्ष में दो बार (15 अप्रैल से 15 मई तथा 15 नवम्बर से 15 दिसम्बर) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्रों की सूची उपलब्ध करायेगा। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी इस सूची को जिला कल्याण पदाधिकारी को अग्रसारित कर देंगे।

8. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को क्या–क्या करना है

(i) प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी कक्षा I से X तक छात्रवृत्ति के लिए प्रखण्ड कार्यालय में प्राप्त आवेदनों का सरकार के मानदण्डों एवं मार्गनिर्देशों के आलोक में सत्यापन करेंगे। सत्यापन के उपरान्त नवीन एवं पुनर्नवीकरण आवेदनों से सम्बन्धित लाभुकों की श्रेणीवार एवं वर्गवार अलग–अलग सूचियाँ तैयार करेंगे तथा उनपर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

(ii) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी छात्रवृत्ति से सम्बन्धित अनुमोदित श्रेणीवार एवं वर्गवार स्वीकृति सूचियों को उनकी दो हार्ड कॉपियों एवं सॉफ्ट कॉपियों के साथ जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। ये सूचियाँ प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मामले में फार्मेट –III एवं उच्च विद्यालय के मामले में फार्मेट– IV में होगी।

(iii) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने क्षेत्र के अन्दर स्थित सम्बन्धित विद्यालय के बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की सूची प्राप्त करेंगे एवं तदुपरान्त उसे जिला कल्याण पदाधिकारी को अग्रसारित कर देंगे।

9. जिला कल्याण पदाधिकारी को क्या–क्या करना है

(i) जिला कल्याण पदाधिकारी/ प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी विद्यालयों का भ्रमण करेंगे और विद्यालय के छात्रों के विवरण की स्थल पर ही छिटपुट जाँच करेंगे।

(ii) जिला कल्याण पदाधिकारी नवीन एवं पुनर्नवीकरण मामलों की स्वीकृति सूची 3 (तीन) हार्ड कॉपियों में एवं एक सॉफ्ट कॉपी में (सी. डी. / डी. वी. डी.) विहित फार्मेट में आदिवासी कल्याण आयुक्त को भेजेंगे।

(iii) जिला कल्याण पदाधिकारी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वाले छात्रों की सूची आदिवासी कल्याण आयुक्त को वर्ष में दो बार 15 अप्रैल से 15 मई तक एवं 15 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक की अवधियों में भेजेंगे।

(iv) जिला कल्याण पदाधिकारी विहित प्रपत्र – VII में उस बैंक का नाम, शाखा एवं पूरा पता, सी. बी. एस. खाता संख्या और आई. एफ. एस. कोड भेजेंगे जिसमें ग्राम शिक्षा समितियों के खाते हैं।

10. आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय को क्या करना है

(i) जिलों से प्राप्त श्रेणीवार अधियाचनाओं एवं विभाग द्वारा दिए गए आवंटन के आधार पर कोषागार से विपत्र पारित करा कर आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय बैंक ऑफ इंडिया को इलेक्ट्रानिक अन्तरण के माध्यम से छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए संस्थानवार / श्रेणीवार सूची भेजेगा।

(ii) इलेक्ट्रोनिक अन्तरण के द्वारा छात्रवृत्ति भुगतान के पश्चात् बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त सूचियाँ सम्बन्धित जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायेंगी।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

प्राथमिक / मध्य / उच्च विद्यालय की छात्रवृत्ति की स्वीकृति हेतु आवेदन

आवेदन संख्या (केवल कार्यालय प्रयोग के लिए)

1.	आवेदक का नाम	:	
2.	जन्म तिथि	:	
3.	पिता / अभिभावक का नाम	:	
4.	माता–पिता / अभिभावक की आजीविका	:	
5.	माता–पिता / अभिभावक की वार्षिक आय	:	
6.	श्रेणी (अनु0ज0जा0 / अ0जा0 / अ0पि0व0)	:	
7.	लिंग (पुरुष / स्त्री)	:	
8.	दूरभाष संख्या (यदि उपलब्ध हो) के साथ पूरा पता	:	
9.	कक्षा जिसमें पढ़ रहा है	:	
10.	विद्यालय में नामांकन की तिथि	:	
11.	नामांकन संख्या	:	
12.	विद्यालय का नाम	:	

उच्च विद्यालय के लिए :

13.	छात्र का सी. बी. एस. संख्या	:	
14.	बैंक का आई. एफ. एस. कोड	:	
15.	क्या पिछले वर्ष छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई थी अथवा नहीं ?	:	
16.	अनुलग्नकों की सूची	:	जाति प्रमाण पत्र बैंक खाते का प्रमाण (उच्च विद्यालय के लिए)

मता–पिता / छात्र की घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि जहाँ तक मुझे जानकारी और विश्वास है ऊपर दी गयी सूचनाएँ सही हैं।

माता–पिता के हस्ताक्षर

छात्र के हस्ताक्षर

विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्राचार्य की घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र की उपर्युक्त सूचना का मेरे द्वारा विद्यालय के अभिलेखों से सत्यापन कर लिया गया है और यह सही पायी गयी हैं।

प्रधानाध्यापक / प्राचार्य के हस्ताक्षर

फर्मैट – I

छात्रवृत्ति प्रतिवेदन

विद्यालय स्तर के लिए (प्राथमिक / मध्य विद्यालय से प्रखण्ड विकास पदा० को प्रेषण हेतु)

श्रेणी अनु०ज०जा० / अनु० जा० / अ० पि० व० नवीन / पुनर्नवीकरण वर्ष

विद्यालय का नाम

ग्राम शिक्षा समिति का नाम

बैंक का नाम और पूरा पता

ग्राम शिक्षा समिति का सी. बी. एस. खाता संख्या

बैंक शाखा का आई. एफ. एस. कोड

क्रमांक	छात्र का नाम	पिता का नाम	श्रेणी	पुरुष / स्त्री	कक्षा जिस मे पढ़ रहा है	पूर्व की कक्षाओं मे उपस्थिति का प्रतिशत	गत परीक्षा का परिणाम	छात्रवृत्ति की दर (रु0)	छात्रवृत्ति की अवधि	योग राशि (रु0)	अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गयी सूचना का विद्यालय के अभिलेखों से सत्यापन कर लिया गया है एवं यह सही पायी गयी है। उपर्युक्त छात्र सरकारी परिपत्रों में विहित मार्गनिर्देशों तथा छात्रों द्वारा समर्पित प्रलेखों के अनुसार छात्रवृत्ति की स्वीकृति की पात्रता रखते हैं।

प्रधानाध्यापक / प्राचार्य के हस्ताक्षर

नाम और मुहर

फार्मेट – II

छात्रवृत्ति प्रतिवेदन

विद्यालय स्तर के लिए (प्राथमिक / मध्य विद्यालय से प्रखण्ड विकास पदा0 को प्रेषण हेतु)

श्रेणी अनु0ज0जा0 / अनु0 जा0 / अ0 पि0 व0 नवीन / पुनर्नवीकरण वर्ष

विद्यालय का नाम

क्रमांक	छात्र का नाम	पिता का नाम	श्रेणी (अनु0ज0जा0 / अ0जा0 / अ0पि0व0)	पुरुष / स्त्री	कक्षा जिसमें पढ़ रहा है	पिछली कक्षा में उपस्थिति का प्रतिशत	अगले कक्षा में प्रोन्नति (केवल पुनर्नवीकरण मामलों के लिए)	छात्र के सी. बी. एस. खाता संख्या	बैंक और बैंक शाखा का नाम	बैंक शाखा का आई. एफ.एस. कोड	छात्रवृत्ति दर (रु0)	छात्रवृत्ति की अवधि	योग राशि (रु0)	अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

प्रमाणित किया जाता है कि उपर दी गयी सूचना का विद्यालय के अभिलेखों से सत्यापन कर लिया गया है एवं यह सही पायी गयी है। उपर्युक्त छात्र सरकारी परिपत्रों में विहित मार्ग निर्देशों तथा छात्रों द्वारा समर्पित प्रलेखों के अनुसार छात्रवृत्ति की स्वीकृति की पात्रता रखते हैं।

प्रधानाध्यापक / प्राचार्य के हस्ताक्षर

नाम और मुहर

फार्मेट – III

स्वीकृति सूची

प्रखण्ड स्तर के लिए (प्रखण्ड विकास पदा. के द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी को प्रेषण हेतु
(प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के लिए)

श्रेणी अनु0ज0जा0 /अनु0 जा0 / अ0 पि0 व0 नवीन / पुनर्नवीकरण वर्ष

विद्यालय का नाम

ग्राम शिक्षा समिति का नाम

बैंक का नाम और पूरा पता

ग्राम शिक्षा समिति का सी. बी. एस. बैंक खाता संख्या

बैंक का आई. एफ. एस. कोड

क्रमांक	छात्र का नाम	पिता का नाम	श्रेणी (अनु0ज0जा0/ अ0ज0/ अ0पि0व0)	पुरुष/ स्त्री	कक्षा जिसमें पढ़ रहा है	पिछली कक्षा में उपस्थिति का प्रतिशत	अगली कक्षा में प्रोन्नति (केवल पुनर्नवीकरण मामलों में लागू)	छात्रवृत्ति दर (रु0)	छात्रवृत्ति की अवधि	योग राशि (रु0)	अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रमाणित किया जाता है कि उपर दी गयी सूचना का सत्यापन कर लिया गया है, तथा उपर्युक्त छात्र विहित मार्गनिर्देशों के अनुसार छात्रवृत्ति की स्वीकृति की पात्रता रखते हैं।

प्रखण्ड विकास पदा0 के हस्ताक्षर
नाम एवं मुहर

फार्मैट– IV

स्वीकृति सूची

विद्यालय स्तर के लिए (प्रखण्ड विकास पदा० के द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी को प्रेषण हेतु–उच्च विद्यालय के लिए)

श्रेणी अनु0ज0जा0 /अनु0 जा0 / अ0 पि0 व0 नवीन / पुनर्नवीकरण वर्ष

विद्यालय का नाम

क्रमांक	छात्र का नाम	पिता का नाम	श्रेणी (अनु0ज0जा0 / अ0ज0 / अ0पि0व0)	पुरुष / स्त्री	कक्षा जिसमें पढ़ रहा है	पिछली कक्षा में उपस्थिति का प्रतिशत	अगली कक्षा में प्रोन्नति (केवल पुनर्नवीकरण मामलों में लागू)	छात्र के सी.बी. एस. खाता की संख्या	बैंक और बैंक शाखा का नाम	बैंक शाखा का आई. एफ.एस. कोड	छात्रवृत्ति दर (रु0)	छात्रवृत्ति की अवधि	योग राशि (रु0)	अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गयी सभी सूचनाओं का सत्यापन कर लिया गया है तथा उपर्युक्त छात्र विहित मार्गनिर्देशों के अनुसार छात्रवृत्ति की स्वीकृति की पात्रता रखते हैं।

प्रखण्ड विकास पदा0 के हस्ताक्षर

नाम एवं मुहर

फार्मैट – V

स्वीकृति सूची

जिला कल्याण पदाधिकारी के लिए प्रपत्र (जिला कल्याण पदा0 द्वारा आदिवासी कल्याण आयुक्त को प्रेषण हेतु)

श्रेणी अनु0ज0जा0 /अनु0 जा0 / अ0 पि0 व0 नवीन / पुनर्नवीकरण वर्ष

प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के लिए

जिला का नाम

विद्यालय का नाम

ग्राम शिक्षा समिति का नाम ग्राम शिक्षा समिति का सी. बी. एस. खाता संख्या

बैंक शाखा का नाम पूरे पते के साथ

बैंक शाखा का आई. एफ. एस. कोड

क्रमांक	छात्र का नाम	पिता का नाम	श्रेणी (अनु0ज0जा0 / अ0ज0 / अ0पि0व0)	पुरुष / स्त्री	कक्षा जिसमें पढ़ रहा है	पिछली कक्षा में उपस्थिति का प्रतिशत	अगली कक्षा में प्रोन्नति (केवल पुनर्नवीकरण मामलों में लागू)	छात्रवृत्ति दर (रु0)	छात्रवृत्ति की अवधि	योग राशि (रु0)	अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

जिला कल्याण पदाधिकारी के हस्ताक्षर

नाम और मुहर

फार्मेट – VI

स्वीकृति सूची

जिला कल्याण कार्यालय के लिए (जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा आदिवासी कल्याण आयुक्त को प्रेषण हेतु)

श्रेणी अनु0ज0जा0 /अनु0 जा0 / अ0 पि0 व0 नवीन / पुनर्नवीकरण वर्ष

उच्च विद्यालय के लिए

जिले का नाम

प्रखण्ड का नाम

विद्यालय का नाम

क्रमांक	छात्र का नाम	पिता का नाम	श्रेणी (अनु0ज0जा0 / अ0जा0 / अ0पि0व0)	पुरुष / स्त्री	कक्षा जिसमें पढ़ रहा है	पिछली कक्षा में उपस्थिति का प्रतिशत	अगली कक्षा में प्रोन्नति (केवल पुनर्नवीकरण मामलों में लागू)	छात्र के सी.बी. एस. खाता का संख्या	बैंक का नाम एवं पूरा पता	बैंक शाखा का आई. एफ.एस. कोड	छात्रवृत्ति दर (रु0)	छात्रवृत्ति की अवधि	योग राशि (रु0)	अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

जिला कल्याण पदाधिकारी के हस्ताक्षर

नाम और मुहर

फार्मेट – VII

जिला कल्याण पदाधिकारी के लिए

जिला का नाम

प्रखण्ड का नाम

क्रमांक	ग्राम शिक्षा समिति का नाम	प्रखण्ड	बैंक का नाम एवं पता	सी. बी. एस. खाता संख्या	बैंक शाखा का आई. एफ. एस. कोड	अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7

जिला कल्याण पदाधिकारी के हस्ताक्षर
नाम एवं मुहर

झा०रा०मु०राँची (कल्याण विभाग) 3–50,000–19–7–2010 ।